



न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस
अपील संख्या 18/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/49)

अनवान प्रभाती बनाम नगर पालिका राजगढ वगैरह

अपील विरुद्ध आदेश- प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ मुकदमा 23/2002 दिनांक 07.02.2002

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2025	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित। अपीलान्त प्रभाती स्वय अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलान्त प्रभाती को रूक- रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वेधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। अतः यह पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> अतिरिक्त सभागीय आयुक्त बीकानेर</p>	<p> 10.12.25</p>